171

नि० 2027-II/16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म० प्र०)

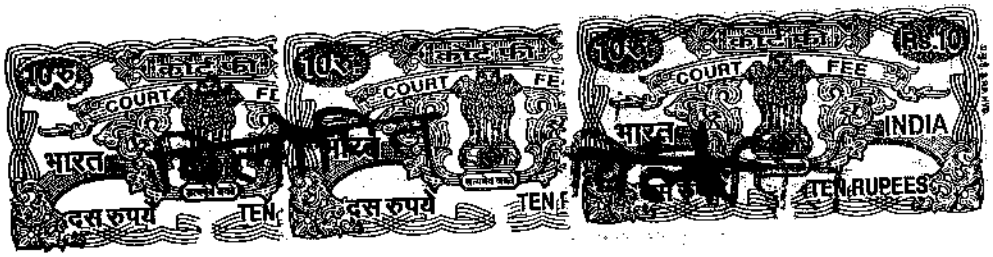

वेदान्ती प्रसाद तिवारी पिता श्री कमलेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र 42 वर्ष तत्कालीन हल्का पटवारी गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा वर्तमान पटवारी हल्का खड्डा तहसील सेमरिया, जिला–**रीवा** (म० प्र०)

———**ओवदक**

बनाम

म० प्र० शासन द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग सिरमौर, जिला–**रीवा** (म० प्र०)

———**अनावेदक.**

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला **रीवा** (म० प्र०) द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में पारित आदेश क्रं0 422/स्टेनो/2016 दिनांक 07.05.2016. "अनुलग्नक क"

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि –

1. इस निगरानी के पूर्व अन्य किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष कोई निगरानी न तो दायर की गई है और न ही लंबित है।
2. पटवारी पद पर नियुक्ति म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 104 की प्रावधानों के अनुसार की जाती है। तदानुसार निगराकार/आवेदक की नियुक्ति कलेक्टर रीवा के आदेश क्रमाक 1036/18/भू–अभिलेख/94 रीवा दिनांक 31.08.1994. से की गई थी।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..R-2027...II...16...जिला ...रीवा.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-6-16	आवेदक वेदान्ती प्रसाद तिवारी के तरफ से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा के आदेश कं0 422/स्टेनो/2016 दिनांक 07.05.2016. के विरूद्ध यह निगरानी म0 प्र0 भू.रा. सं0 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा संहिता की धारा 52 के तहत स्थगन दिये जाने का आवेदन भी प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के ग्राहयता तथा स्थगन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। 2. आलोच्य आदेश से पी.सी. एम्ट की धारा 7 एवं 13(1)(डी) एवं धारा 13(2) के अन्तर्गत आवेदक को विशेष न्यायालय रीवा प्रकरण कं0 17/2014 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016. द्वारा 4 वर्ष की सजा व 25 हजार रूपये के अर्थ दण्ड का आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप म0 प्र0 सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 की कण्डिका 19 (1) के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रकरण मानते हुये विभागीय जांच संस्थित किये वगैर ही पटवारी पद से पदच्युति का आदेश पारित किया गया है। 3. आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने विशेष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं सजा के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर डबल बेंच में अपील दायर किया है जिसे सुनवाई योग्य मानकर **मान्नीय उच्च न्यायालय ने ग्राह्य किया है तथा दी गई सजा को दिनांक 21.01.2016. के आदेश से स्थगित किया है।** सजा, दोष सिद्धि का परिणाम है, इसी प्रकार दोष सिद्धि के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित पदच्युति का आदेश भी दोष सिद्धि का ही परिणाम है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के परिणाम पर स्थगन जारी कर देने के फलस्वरूप पदच्युति का आदेश भी अवैध एवं तथ्यहीन हो जाता है। यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया होता तो आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य रखने का अवसर प्राप्त किया होता तब पदच्युति का आलोच्य आदेश पारित न हुआ होता।	

R-2027-II-16 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
	आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी की नस्ती क्रं0 7/वि.जांच/2016 की छाया प्रति का अवलोकन किया, इस नस्ती में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि शासन के ज्ञाप क्रं0 सामान्य प्रशासन विभाग एफ. क्रं0 06-02-08/03 दिनांक 06.10.1980. के अनुसार संक्षिप्त जांच किया जाना आवश्यक था। **यह ज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर आधारित है। अतः इसका पालन अनिवार्य था।** इस ज्ञापन के आधार पर आवेदक अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदक की नियुक्ति कलेक्टर रीवा के आदेश कमांक 1036/18 भू.अभि./94 रीवा दिनांक 31.08.1994. द्वारा की गई थी, अर्थात् नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है। अतः सिविल सेवा वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण नियम 1966 की कण्डिका 12(3)क के अनुसार पदच्युति का आदेश कलेक्टर ही पारित कर सकता है। अधीनस्थ को अधिकार नहीं है।
	4. **माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 2003 (2) M.P.H.T. 200 अशोक कुमार Vs बाल मुकुन्द** के क्रिमिनल रिवीजन नं0 73/96 आदेश दिनांक 09.01.2003. द्वारा **माननीय जस्टिस ए0 के0 श्रीवास्तव जी द्वारा यह निर्धारित किया गया है** कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) धारा 197 (1) म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता (1959 का 20) धारा 104 म0 प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1957 (1958 का 3) धारा 16 पटवारी उसे कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया गया अधिनियम की धारा 16 के आधार पर नियुक्त करने की शक्ति निलंबित करने या पदच्युत करने की शक्ति को सम्मिलित करती है। **अतः पटवारी को सेवा से हटाने और सेवा समाप्त करने की शक्ति कलेक्टर में निहित होती है।**

R-2027-II-16 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

इसी प्रकार मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 2008 रा0 नि0 437 विनोद कुमार खरे Vs म0 प्र0 राज्य तथा अन्य रिट याचिका कं0 8179/03 निर्णय दिनांक 16.04.08 द्वारा मान्नीय जस्टिस आर0 के0 गुप्ता जी द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भू0 रा0 संहिता 1959 म0 प्र0 धारा 104 (2) 24 तथा 258 (2) (XIX) पटवारी की पदच्युति का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जा सकता है क्योंकि वह धारा 104(2) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी हैं। उपखण्ड अधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं है। अधिसूचना दिनांक 09.10.1959. लागू नहीं होती है क्योंकि इसके द्वारा अधिष्ठायी विधि परिवर्तित नहीं की जा सकती है।

5. उपरोक्त निर्णयों एवं नियमों के आलोक में निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता हे।

फलतः

(1) ओवदक के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा द्वारा पारित पदच्युति का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के आलोचय आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा ही आदेश कं0 365/स्टेनो/14 दिनांक 30.09.2015. द्वारा निलम्बित किया गया था।

आवेदक को सेवा में नियुक्ति कलेक्टर द्वारा होने से निलम्बन का उक्त आदेश भी अवैधानिक हो जाता है। अतः आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा जारी निलम्बन आदेश भी निरस्त किया जाता है तथा अनुंविभागीय अधिकारी सिरमौर को निर्देश दिये जाते हैं कि मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डबल बेंच में दायर अपील के निराकरण तक आवेदक को पूर्वत पटवारी पद पर पदस्थ कर उसके देय समस्त स्वत्वों का भुगतान किया जावे।

निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य

ग्वालियर—355—फॉर्म I—3-2-16—30,000 प्रपत्र.